पत्र सं0 / जी0एस0टी0/2019-20/ 517 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0
(जी0एस0टी0 - अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक 05 सितम्बर : 2019,

आदेश

उत्तर प्रदेश शासन संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1404/ग्यारह-09(109)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (46)-2017 दिनांक 26-09-17 द्वारा यह व्यवस्था की गयी है कि उ0प्र0 माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 123 के उपनियम (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल एवं राज्य स्तरीय छानबीन समिति का गठन करते हैं जिसे उ0प्र0 मुनाफाखोरी रोधी छानबीन समिति के रूप में जाना जायेगा। उक्त समिति में निम्नलिखित होंगे -

(क) आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला, राज्य सरकार का एक अधिकारी, और

(ख) मुख्य आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला, केंद्रीय सरकार का एक अधिकारी।

उपरोक्त के क्रम में उ0प्र0 मुनाफाखोरी रोधी छानबीन समिति में क्रमांक (क) पर सुश्री यशु रुस्तगी, एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर/राज्य कर उ0प्र0 को नामित किया जाता है।

(अमृता सोनी)
कमिश्नर वाणिज्य कर/राज्य कर
उ0प्र0 लखनऊ

प्रतिलिपि :-

1- अपरमुख्य सचिव वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर उ0प्र0 की सेवा में सूचनार्थ।

2- चीफ कमिश्नर जी0एस0टी0 तथा सेन्ट्रल एक्साईज लखनऊ जोन, लखनऊ को सूचनार्थ।

3- सुश्री यशु रुस्तगी, एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर/राज्य कर उ0प्र0 को सूचनार्थ।

4- ज्वाइंट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर मुख्यालय को वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।

एडीशनल कमिश्नर जी0एस0टी0
वाणिज्य कर मुख्यालय लखनऊ